प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
"चयन भवन" मेन रोड नं.–1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल–462011

क./व्यापम/5–प–1/ 6997 /2015 भोपाल, दिनांक 15/09/15

// आदेश //

मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अनुरोध पर मण्डल द्वारा **पीईपीटी परीक्षा वर्ष–2012** का आयोजन दिनांक 20.05.2012 को किया गया था। परीक्षा के आयोजन से संबंधित समस्त नियमावली, पाठ्यक्रम एवं प्रकिया का निर्धारण संबंधित विभाग के स्तर पर किया जाता है। मण्डल द्वारा परीक्षा का परिणाम दिनांक 31.05.2012 को घोषित किया गया था।

2. मण्डल में इस परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों सुश्री श्रेया भार्गव तथा श्री विकल्प नायक से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत के संबंध में मण्डल द्वारा पत्र कमांक मंडल/संचा/वि.अ./पीईपीटी 12–13/3199/2014 दिनांक 21.05.2014 एसटीएफ मध्यप्रदेश, भोपाल को प्रेषित करते हुये, अभ्यर्थियों की ओएमआर उत्तरशीटस् में अंकित किये गये उत्तरों के लिये उपयोग में लाये गये पेन/इंक की क्यूडी से परीक्षण करके रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था।

3. कार्यालय सहायक पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश एसटीएफ, भोपाल के पत्र कमांक समनि.–2/एसटीएफ/1477/2015 दिनांक 10.07.2015 के द्वारा अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट की क्यूडी रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई थी। एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के परीक्षण एवं प्रकरण की समग्र जॉच हेतु मण्डल द्वारा आदेश कमांक व्यापम/गो.शा./5610/2015 दिनांक 20.07.2015 के द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया था।

4. समिति द्वारा एसटीएफ से प्राप्त रिपोर्ट, ओएमआर उत्तरशीट में अलग–अलग स्याही से भरे गये गोलों का मॉडल उत्तर कुंजी से मूल्यांकन, सुपरवाईजरों द्वारा अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम का उक्त उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रदान की गई परीक्षण रिपोर्ट का अध्ययन किया गया मण्डल द्वारा सुश्री श्रेया भार्गव को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये पत्र कमांक/व्यापम/5–प–1/6256/2015 दिनांक 06.08.2015 तथा श्री विकल्प नायक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये पत्र कमांक/व्यापम/5–प–1/6255/2015 दिनांक 06.08.2015 प्रेषित किया गया था। समिति द्वारा उपरोक्त समस्त बिन्दुओं का समग्र परीक्षण किये जाने पर दोनों अभ्यर्थियों से संबंधित निम्नानुसार तथ्य परिलक्षित हुये ।

A. सुश्री श्रेया भार्गव को भेजा गया पत्र मूलतः मण्डल में वापस प्राप्त हुआ है। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के दौरान **प्रथम इंक** से लगाये गये उत्तरों का मॉडल उत्तर कुंजी मूल्यांकन करने पर **सामान्य परिणाम (68.75 %)** प्राप्त हो रहा हैं तथा **द्वितीय इंक** से लगाये गये उत्तरों का मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर मूल्यांकन करने पर **असामान्य परिणाम (95.45 %)** प्राप्त हुआ है।

B. श्री विकल्प नायक द्वारा अपने प्रतिउत्तर में किसी भी प्रकार का तथ्यात्मक तथा समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के दौरान **प्रथम इंक** से लगाये गये उत्तरों का मॉडल उत्तर कुंजी मूल्यांकन करने पर **सामान्य परिणाम (42.05 %)** प्राप्त हो रहा हैं तथा **द्वितीय इंक** से लगाये गये उत्तरों का मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर मूल्यांकन करने पर **असामान्य परिणाम (98.92 %)** प्राप्त हुआ है।?

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि द्वितीय इंक से लगाये गये उत्तर अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के दौरान न लगाये जाकर अनुचित तरीके से बाद में लगवाये गये हैं। उक्त तथ्यों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थी का घोषित किया गया परीक्षा परिणाम त्रुटिपूर्ण एवं दूषित हैं।

पीईपीटी परीक्षा 2012 की नियमपुस्तिका के अध्याय – 01 की कण्डिका – 1.9 के अंतर्गत अनुचित साधन (UFM) मान्य करते हुये इनका परीक्षा परिणाम तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित)

संचालक
पीईबी, भोपाल

पृ.क्र./व्यापम/5–प–1/ / /2015 भोपाल, दिनांक
प्रतिलिपि –
1. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, स्पेशल टॉस्क फोर्स, म.प्र. सातवीं वाहिनी के बाजू में जहांगीराबाद, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,मंत्रालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. संचालक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. नियंत्रक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. जनसम्पर्क शाखा, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर सूचनार्थ।
8. श्री .... की ओर सूचनार्थ।

-sd-
संचालक
पीईबी, भोपाल